भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1170
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

विद्यालयों में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण पहल

† 1170. **सुश्री कंगना रनौतः**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना या किसी अन्य केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आत्म-रक्षा प्रशिक्षण पहलों के लिए कोई एडवाइजरी, मॉडल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल, सीखने के परिणाम या कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो जारी करने वाले प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यप्रणाली, सीखने के उद्देश्यों, प्रशिक्षकों की योग्यताओं और कार्यान्वयन तंत्र से संबंधित प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्कूलों में छात्राओं के लिए ऐसे आत्म-रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उपलब्ध मानकीकृत ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार आत्म-रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एकसमान और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने का है; और
(ङ.) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी (

(क) से (ड़): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा योजना लागू कर रहा है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक फैला एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, लड़कियों को हमले के जोखिम से निपटने के लिए सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत 'रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण' का प्रावधान है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छठी से बारहवीं कक्षा की बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य छात्राओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाना, अनियमित उपस्थिति और ड्रॉपआउट को कम करना, लड़कियों को आत्मरक्षा और आत्म-विकास के जीवन कौशल से सुसज्जित करना है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। यह योजना तीन महीने की अवधि के लिए प्रति सरकारी स्कूल प्रति माह 5,000 रुपये तक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें स्थानीय संदर्भ, भू-भाग और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्धति और वितरण तंत्र तैयार करती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में 2,01,292 स्कूलों ने लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अलावा, छात्रों में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुवर्ती के रूप में, शारीरिक शिक्षा और कल्याण को ग्रेड **3** से अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एनसीएफ-एसई माध्यमिक स्तर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत मार्शल आर्ट शुरू करने की भी सिफारिश करता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

i. बोर्ड ने दिनांक 07 सितंबर, 2015 के अपने परिपत्र 55/2015 के माध्यम से स्कूलों को दिल्ली, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केवि और जनवि के सरकारी स्कूलों सहित इससे संबद्ध सभी स्कूलों को कक्षा I-X की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाया।

ii. स्कूलों को यह सलाह दी गई है कि कक्षा I-X की सभी छात्राओं को वर्ष में दो बार आत्मरक्षा पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

iii. यह सुझाव दिया गया था कि स्कूल पड़ोसी पुलिस स्टेशनों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं या इस अभ्यास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

iv. छात्रों में शारीरिक फिटनेस, सुरक्षा जागरूकता और आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए, सीबीएसई ने कक्षा **1** से बारहवीं तक के सभी छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने अनिवार्य किया है कि स्कूल कक्षा IX-XII के लिए परिपत्र संख्या एसीएडी-10/2018 दिनांक 21 मार्च, 2018 और कक्षा I-VIII के लिए परिपत्र संख्या एकेड-16/2019 दिनांक 9 मार्च, 2019 के माध्यम से हर दिन एचपीई की एक कक्षा अवधि आवंटित करें। इसके अलावा, सभी छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर कम से कम दो खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है, जिसे दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड में भी शामिल किया गया है। एचपीई के तहत शैक्षणिक कार्यनीतियों और मूल्यांकन पर अपने

विस्तृत दिशानिर्देशों के माध्यम से, सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से आत्मरक्षा जागरूकता और कौशल के विकास को एक प्रमुख अधिगम उद्देश्य के रूप में उजागर किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दक्षताओं से सुसज्जित है।

समग्र शिक्षा के अन्य घटकों के साथ-साथ इस कार्यकलाप की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के वार्षिक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के मूल्यांकन के भाग के रूप में की जाती है।
